राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2325/2011/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—'बी', भिवाड़ी. बनाम

मैसर्स विन्सम ब्रेवरीज प्रा0 लिमिटेड, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक श्री डी. कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 24/01/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 193/100/ CST/2006-07/10-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2003-04 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2003–04 की अवधि के दौरान बियर की बिक्री राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय क्रम में की गयी थी, परन्तु व्यवहारी को यह ज्ञान नहीं था कि बियर राज्य एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय में विक्रय कर से मुक्त है अतः क्रेताओं से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवा दिया गया। इस तरह क्रेताओं द्वारा अन्तर्राज्यीय खरीद में जो राशि कर के रूप में उक्त व्यवहारी को भुगतान की गयी थी वह राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई जिससे यह प्रमाणित है कि वह राशि अन्तर्राज्यीय क्रेताओं द्वारा वहन की गयी थी परन्तु व्यवहारी को यह जानकारी होने के बाद कि विक्रय किया गया माल करमुक्त है, उस संग्रहित कर राशि को क्रेताओं को लौटा दिया गया एवं कर निर्धारण के दौरान राजकोष में जमा राशि का रिफण्ड किये जाने का आवेदन किया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) के तहत किये गये कर निर्धारण दिनांक 28.03.2006 में यह अवधारित किया गया कि व्यवहारी द्वारा

AS

लगातार......2

अपील संख्या – 2325/2011/अलवर.

चूंकि अपने क्रेताओं से कर वसूल कर लिया गया था ऐसी स्थिति में उस कर का रिफण्ड केवल क्रेताओं को ही किया जा सकता है एवं व्यवहारी द्वारा एकत्रित व जमा कर को जब्त कर लिया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 28.03.2006 में एकत्रित एवं जमा कर राशि को जब्त किये जाने के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत क्रेताओं से वसूल की गई राशि को जब्त किये जाने के कोई प्रावधान नहीं होने से उसे जब्त नहीं किया जा सकता एवं राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मधुसूदन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं राजस्थान पोलीमर्स एण्ड रेबिल्स लिमिटेड के प्रकरण में दिये गये आदेश के अधीन प्रत्यर्थी व्यवहारी के संग्रहित कर को जब्त करने के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2

-:

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि 3. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 28.03.2006 में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय में अपने क्रेताओं से जो कर की वसूली की गयी थी वह नियमानुसार राजकोष में जमा करा दी गयी थी। उन्होंने कथन किया कि इस विधिक स्थिति में विवाद नहीं है कि बियर की बिक्री करमुक्त बिक्री थी परन्तु व्यवहारी द्वारा कर की वसूली क्रेताओं से कर ली गयी थी ऐसी स्थिति में वसूल किये गये कर को विक्रेता व्यवहारियों को लौटाये जाने के कोई प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम के तहत नहीं हैं। उन्होंने कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत कर निर्धारण के अलावा कर संग्रहण, रिफण्ड एवं शास्ति के प्रावधान राज्य के प्रावधानों अनुसार लागू होने का प्रावधान किया गया है ऐसी स्थिति में कर संग्रहण एवं रिफण्ड सम्बन्धी सभी नियम राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अनुसार ही लागू किये जा सकते हैं। उन्होंने कथन किया कि विक्रय कर अधिनियम के तहत excess (अनधिकृत) collection को जब्त किये जाने के प्रावधान होने से कर निर्धारण अधिकारी को उक्त राशि को जब्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। फलतः रिफण्ड दिये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत संग्रहित कर को जब्त किये जाने के कोई प्रावधान नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की संग्रहित कर राशि को जब्त किये जाने में विधिक भूल की गयी है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से अपास्त करते हुए कर राशि को जब्त करने के आदेश को निरस्त किया है, अतः अपीलीय आदेश की पृष्टि करने का अनुरोध किया।

R

लगातार......3

अपील संख्या - 2325/2011/अलवर.

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी को करमुक्ति सम्बन्धी जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा गलत रूप से एकत्रित की गयी राशि को वर्ष के अन्त में क्रेताओं को क्रेडिट नोट के रूप में लौटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्रेताओं को राशि प्राप्त हो जाने एवं व्यवहारी द्वारा वह राशि राजकोष में जमा कराने से व्यवहारी उस राशि का रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार है। फलतः इस राशि का रिफण्ड व्यवहारी को दिये जाने के आदेश करने का अनुरोध किया।

 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि व्यवहारी द्वारा 6. अज्ञानता से करमुक्त माल बियर पर कर की वसूली वर्ष 2003-04 के दौरान अपने क्रेताओं से कर ली गयी थी एवं वसूल की गयी राशि राजकोष में जमा भी करवा दी गयी थी। विधिक रूप से यह निर्विवादित है कि क्रेताओं से जो राशि वसल की गयी है वह अविधिक थी, ऐसी स्थिति में उस राशि का रिफण्ड जारी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत क्रेडिट नोट्स का भी अवलोकन किया गया। क्रेडिट नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2003–04 की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात माह अप्रैल में सभी क्रेताओं को क्रेडिट नोट के रूप में राशि लौटाने के पत्र जारी किये गये हैं। इससे एक तथ्य की पुष्टि होती है कि वर्ष 2003–04 के दौरान जो बियर की बिक्री की गयी थी वह विभिन्न क्रेता व्यवहारियों द्वारा कर राशि वहन करते हुए उसे आगे विक्रय किया जा चुका था एवं वह त्रुटिपूर्ण संग्रहित राशि व्यवहारी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गयी थी। जहां तक व्यवहारी की ओर से दिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत अनधिकृत रूप से वसूल की गई राशि को जब्त करने के प्रावधान नहीं हैं वह सही है परन्तु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत सभी तरह के कर संग्रहण, रिफण्ड एवं शास्ति के प्रावधान सम्बन्धित राज्य के कर प्रावधानों के अनुसार कर का प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत किया हुआ है, जो निम्न प्रकार है :--

9. Levy and collection of tax and penalties

(1) The tax payable by any dealer under this Act on sales of goods effected by him in the course of inter-State trade or commerce, whether such sales fall within clause (a) or clause (b) of section 3, shall be levied by the Government of India and the tax so levied shall be collected by that Government in accordance with the provisions of sub-section (2), in the State from which the movement of the goods commenced:

n Ar

लगातार.....4

3

PROVIDED that, in the case of a sale of goods during their movement from one State to another, being a sale subsequent to the first sale in respect of the same goods and being also a sale which does not fall within sub-section (2) of section 6, the tax shall be levied and collected-

4

- (a) where such subsequent sale has been effected by a registered dealer, in the State from which the registered dealer obtained or, as the case may be, could have obtained, the form prescribed for the purposes of clause (a) of sub-section (4) of section 8 in connection with the purchase of such goods; and (b) where such subsequent sale has been effected by an unregistered dealer, in the State from which such subsequent sale has been effected.
- (2) Subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered to assess, re-assess, collect and enforce payment of any tax under the general sales tax law of the appropriate State shall, on behalf of the Government of India, assess, re-asses, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty, payable by a dealer under this Act as if the tax or interest or penalty payable by such a dealer under this Act is a tax or interest or penalty payable under the general sales tax law of the State; and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the general sales tax law of the State; and the provisions of such law, including provisions relating to returns, provisional assessment, advance payment of tax, registration of the transferee of any business, imposition of the tax liability of a person carrying on business on the transferee of, or successor to, such business, transfer of liability of any firm or Hindu undivided family to pay tax in the event of the dissolution of such firm or partition of such family, recovery of tax from third parties, appeals, reviews, revisions, references, refunds, rebates, penalties, charging or payment of interest, compounding of offences and treatment of documents furnished by a dealer as confidential, shall apply accordingly:

PROVIDED that if in any State or part thereof there is no general sales tax law in force, the Central Government may, by rules made in this behalf make necessary provision for all or any of the matters specified in this sub-section.

(2A) All the provisions relating to offences, interest and penalties (including provisions relating to penalties in lieu of prosecution for an offence or in addition to the penalties or punishment for an offence but excluding the provisions relating to matters provided for in sections 10 and 10A) of the general sales tax law of each State shall, with necessary

4 2

लगातार......5

अपील संख्या - 2325/2011/अलवर.

modifications, apply in relation to the assessment, reassessment, collection and the enforcement of payment of any tax required to be collected under this Act in such State or in relation to any process connected with such assessment, reassessment, collection or enforcement of payment as if the tax under this Act were a tax under such sales tax law.

5

- (2B) If the tax payable by any dealer under this Act is not paid in time, the dealer shall be liable to pay interest for delayed payment of such tax and all the provisions for delayed payment of such tax and all the provisions relating to due date for payment of tax, rate of interest for delayed payment of tax and assessment and collection of interest for delayed payment of tax, of the general sales tax laws of each State, shall apply in relation to due date for payment of tax, rate of interest for delayed payment of tax, and assessment and collection of interest for delayed payment of tax under this Act in such States as if the tax and the interest payable under this Act were a tax and an interest under such sales tax law.
- (3) The proceeds in any financial year of any tax, including any interest or penalty, levied and collected under this Act in any State (other than a Union Territory) on behalf of the Government of India shall be assigned to that State and shall be retained by it; and the proceeds attributable to Union Territories shall form part of the Consolidated Fund of India.

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से दिया गया तर्क कि केन्द्रीय अधिनियम के 7. तहत कर राशि जब्त करने के प्रावधान नहीं हैं उचित है। विभाग की ओर से यह आक्षेप किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेताओं से जो राशि वसूल की गयी थी उसे क्रेताओं द्वारा वहन किया गया है एवं आगामी वसूली उन क्रेताओं द्वारा अपने ग्राहकों से भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रेडिट नोट के जरिये अपने क्रेताओं को दिया जाना बताया गया है वह राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी को रिफण्ड नहीं की जा सकती। प्रकरण के सन्दर्भ में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के अनुसार रिफण्ड से सम्बन्धित प्रावधान सम्बन्धित राज्य के कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही लागू किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 53 के प्रावधान अनुसार रिफण्ड दिये जा सकते हैं। इस प्रावधान में रिफण्ड की राशि केवल उसी व्यक्ति या व्यवहारी को दी जा सकती है जिसने वास्तविक रूप से उस राशि को वहन किया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 56(4) एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 53(5) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :--

Th

लगातार.....6

Section 56. Refund (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)

6

(4) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, a refund can be claimed only by the dealer or the person, who has actually suffered the incidence of tax and the burden of proving the incidence of tax so suffered shall be on the dealer or the person claiming the refund.

Section 53. Refund (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

(5) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, only the dealer or the person, who has actually suffered the incidence of tax or has paid the amount, can claim a refund and the burden of proving the incidence of tax so suffered or the amount so paid shall be on the dealer or the person claiming the refund.

इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर का त्रुटिपूर्ण संग्रहण क्रेताओं से 8. कर लिया गया था परन्तू व्यवहारी द्वारा वह राशि अपने क्रेताओं को क्रेडिट नोट के जरिये दी जाना बताया गया है, ऐसी स्थिति में कर राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ही वहन किया जाना प्रकट होता है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 1471/2000/पाली निर्णय दिनांक 15.07.2002 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संग्रहित कर राशि को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में जब्त करने को अविधिक माना है। इस बिन्दू पर व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय (1999) 25 आर.टी.जे.एस. 197 (राजस्थान कर बोर्ड-खण्डपीठ) सी.टी.ओ. बनाम एशियन पेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, जयपुर निर्णय दिनांक 10.09.1998 का अवलोकन किया गया, जिसमें यह बिन्दु विवादित था कि व्यवसायी ने अधिक वसूल कर को वापस क्रेता को लौटाया है, वह रिफण्डेबल है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में खण्डपीठ ने सी.टी.ओ. बनाम मैसर्स सिंघल पेन्ट्स 20 टैक्स वर्ल्ड 128 के अभिमत, जो निम्न प्रकार है, के अनुसरण में विभाग की अपील खारिज की है –

"Whether the amount of Sales Tax collected but later on found to be refundable can be refunded back to the dealers, without depositing it with the Government ? Held Yes - further held that if the amount is found to be refundable i.e., as not due, even before it is deposited why go through the rigmarole of depositing only to refund, otherwise it would tax the element of discount allowed by the assessee to its dealers in the ast month of the year which is against the definition of sale price."

लगातार......7

अपील संख्या - 2325/2011/अलवर.

9. इसके अलावा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रस्तुत निर्णय (2007) 7 वी.एस.टी. 435 (कर्नाटक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में भी निम्न निर्णय दिया गया है :--

"....Learned Additional Government Advocate representing the department has submitted that strictly construing the statutory provisions, the customer from whom the amount had been wrongly collected, could have sought refund of the said amouont only from the Department and not from the assessee. In our view this is a hyper-technical approach and if it is allowed to stand it will merely defeat the purpose of incorporating section 18-AA of the Act. Acceptance of such a construction will merely lead to futile multiple transactions coupled with harassment to the taxpayers with no corresponding benefit to the Revenue. It will only increase the workload with no resultant benefit to the Revenue."

10. उक्त विधिक प्रावधान एवं प्रौद्धरित न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह निर्णय किया जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अनधिकृत रूप से वसूल किये गये कर को राजकोष में जमा कराये जाने के पश्चात् क्रेता व्यवहारियों को लौटाये जाने के तथ्य को प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, जिनसे उनके द्वारा अपने क्रेता व्यवहारियों से वसूल की गयी अनधिकृत कर राशि पुनः लौटाये जाने का तथ्य प्रमाणित हो, की जांच के

11. परिणामस्वरूप प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

12. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)

सदस्य

(के. एल. जैन)

र्से स्टर्स्य

7